

छत्तीसगढ़ शासन,  
जल संसाधन विभाग,  
मंत्रालय  
महानदी भवन, नवा रायपुर—अटल नगर

क्रमांक —एफ—१—५९/३१/एस—२/२०१८/ ३७२९  
प्रति,

नवा रायपुर, दिनांक २९/०८/२०२३

मुख्य अभियंता,  
महानदी गोदावरी कछार,  
जल संसाधन विभाग,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :— खैरागढ़—छुईखदान—गंडई जिले के विकासखण्ड—खैरागढ़ की गंजीगंजा जलाशय के शीर्ष कार्य, मुख्य नहर, शाखा नहर, लघु नहर, वितरिका मरम्मत, रिसेक्शनिंग एवं लाईनिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :— प्र.अ.का पत्र क्र.—१७६/बो.प्र./प्रशा.स्वी./मगोक/२०१७/३३४७, दिनांक २७.०२.२०१८.


—००—

राज्य शासन एतद्वारा खैरागढ़—छुईखदान—गंडई जिले के विकासखण्ड—खैरागढ़ की गंजीगंजा जलाशय के शीर्ष कार्य, मुख्य नहर, शाखा नहर, लघु नहर, वितरिका मरम्मत, रिसेक्शनिंग एवं लाईनिंग कार्य हेतु लागत राशि रु. 1066.55 लाख (रूपये दस करोड़ छियासठ लाख पचपन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. प्रस्तावित कार्यों के उपरांत योजना की रूपांकित सिंचाई 930 हेक्टेयर में 415 हेक्टेयर की हो रही कमी की पूर्ति तथा बचत जल से 103 हेक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में सिंचाई सहित कुल 1033 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट ३(बी) एवं ३(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण—पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग—एक के नियम—१० के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या—७५ जल संसाधन विभाग से संबंधित नाबार्ड से सहायता प्राप्त परियोजनाएं, ४७०२—लघु सिंचाई पर पूंजी परिव्यय, {१०१}—सतही जल, ०३१—नाबार्ड पोषित योजनाएं (सामान्य), (९४६९)—नाबार्ड से ऋण सहायता के अंतर्गत, #९७—निर्माण कार्य, ००३—बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होंगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र.—७४०/सी.एन.—३१—००३५७/बजट—२/वित्त/चार/२०२३, दिनांक २३.०८.२०२३ द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें। लागत वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से

तथा अदेशानुसार

  
( अनुराग पाण्डेय )

विशेष सचिव

छत्तीसगढ़ शासन


जल संसाधन विभाग


पृ.क्र.-एफ-1-59/31/एस-2/2018/ 3730

नवा रायपुर, दिनांक 29/08/2023

प्रतिलिपि :-

1. अपर मुख्य सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
4. सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर।
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर।
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, अटल नगर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर।
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट, कार्यालय प्रमुख अभियंता, शिवनाथ भवन, नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर-अटल नगर।
13. अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन शिवनाथ मण्डल, दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग छुईखदान, जिला-खैरागढ़-छुईखदान-गंडई (छ.ग.)।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।



  
विशेष सचिव  
छत्तीसगढ़ शासन  
  
जिल संसाधन विभाग

SE (m/5)  
R